मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी नयार मरोडा (सरोडा) में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरोडा (मरोड), पौड़ी गढ़वाल में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी नयार मरोडा (सरोडा) में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 19.08.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल, श्री बी0एस0 चलाल की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरोडा (मरोड), पौड़ी गढवाल में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0अधिकारी) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0 अधिकारी) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी नयार मरोडा (सरोडा) में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 14.10.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप

सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बी0एस0 चलाल, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 7.028 है0 है। जो कि ग्राम मरोडा, तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल राशि रू0 5.01 लाख प्रतिवर्ष होगी, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी नयार, ग्राम मरोडा (सरोडा) में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना के

सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण सार रूप में निम्नानुसार है–

1. **श्री सत्य सिंह पटवाल (ग्राम प्रधान), निवासी ग्राम मरोडा** द्वारा प्रथम बार क्षेत्र में आयोजित लोक सुनवाई का स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि खनन होने से ग्रामसभा का विकास एवं शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि चुगान कार्य आरम्भ होने से पूर्व सड़के बनायी जायें एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाये, ग्राम निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये एवं चुगान/खनन इस प्रकार से किया जाये, जिससे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे।

2. **श्री शूरमान सिंह, निवासी ग्राम मरोडा** द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में खनन/चुगान होने से क्षेत्र में जो धूल–मिट्टी उड़ेगी उससे हमारे चारागाहों को क्षति पहुंचेगी, जिसका हम विरोध करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा खनन क्षेत्र के सीमांकन आदि से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया। उनके द्वारा यह भी पूछा गया कि किसी की भूमि का कटाव या भूमि पर रास्ता बनाया जायेगा, तो क्या होने वाले नुकसान का मुआवजा मिलेगा? उनके द्वारा कहा गया कि यदि इन नियमों का पालन नहीं होगा तो हम सब ग्रामवासी खनन/चुगान का विरोध करेंगे। इनके सभी प्रश्नों के उत्तर परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा दिये गये। अंत में श्री शूरमान सिंह द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खनन/चुगान करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

3. **श्री कमल सिंह नेगी, निवासी ग्राम बड़ा मरोडा** द्वारा कहा गया कि पूर्व में वर्ष 2013 में निगम द्वारा सर्वे किया गया था। परन्तु उस सर्वे में अंकित 80 प्रतिशत भाग नदी में डूब गया है। मरोडा में जहां चुगान/खनन कार्य प्रस्तावित है, वहां केवल 5–6 नाली जमीन चुगान हेतु बाकी बची है, उस पर 7.0 हे0 पर खनन होने के नाम से खनन नहीं होना चाहिए।

4. **श्री रामचन्द्र सिंह, निवासी ग्राम मरोडा** द्वारा कहा गया कि मरोडा में बाड़ से जमीन बह गयी है, लगभग 4–5 नाली ही बची हैं। जो कि खनन/चुगान के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये लोक सुनवाई स्थगित की जाये।

5. **श्रीमती सरला देवी, निवासी ग्राम मरोडा** द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है और हमें निजी निर्माण के लिये खनन सामग्री भी नहीं मिलती। उनके द्वारा कहा गया कि खनन/चुगान नियमानुसार ही होना चाहिए।

6. **श्रीमती सरला देवी, निवासी ग्राम मरोडा** द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में खनन होगा तो इसमें ग्रामसभा के लोगों रोजगार मिलना चाहिए रहा है और खनन/चुगान पूरी ईमानदारी से ही होना चाहिए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन कार्य से पूर्व खनन क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित जन समुदाय से खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त किये जाने हेतु हाथ खड़े करने का अनुरोध किया गया, जिसमें उपस्थित जनता द्वारा लगभग 50–60 प्रतिशत सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी, है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03 सैट
2. डी0वी0डी0 – 03 सैट
3. उपस्थिति पंजिका – 03 सैट

(डा0 अजीत सिंह)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

(बी0एस0 चलाल)
अपर जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

लोक सुनवाई, दिनांक: 15/11/14
समय: 11:00 बजे

नयार नदी, सरोडा (मरोड़ा) जनपद पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा चुगान खनन हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15/11/2014 समय 11:00 बजे प्रातः स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरोडा (मरोड़ा) पौड़ी गढ़वाल में आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका :—

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
1.	बी०एस० चलाल (Admn.)	पौड़ी गढ़वाल	8650922201	[signature]
2.	डी०एस० राणा अधिशासी अधिकारी न.पा.परिषद पौड़ी		9927413788	[signature]
3.	अजीत सिंह (सहा० वैज्ञा० अधि०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।	9411178364	[signature]
4.	संजय कुमार (जि०खनि०अधि०)	—do—	9675042292	[signature]
6.	अंकित राणा (कन्सलटेंट)	ग्रासरूट	9510919866	[signature]
7	एम० एस० राणा	अध्यक्ष, न० पा० पौड़ी	9412983877	[signature]
8.	ए. एस. नेगी	G.M.V.N	9412956211	[signature]

५

Date ________
Page ________

क्र सं०	नाम एवं पदनाम	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
10	[illegible]	[illegible]	9458057468	[illegible]
11	[illegible]	ग्राम मरोड़ा	[illegible]	[illegible]
12	सुरमानसिंह	ग्राम मरोड़ा		[illegible]
13	वीरसिंह	सरोड़ा		[illegible]
14	ईश्वरसिंह	[illegible]		[illegible]
15	अवतारसिंह	मरोड़ा		अवतारसिंह
16	प्रमोदसिंह	मरोड़ा		प्रमोदसिंह
17	मगनसिंह	मरोड़ा		मगनसिंह
18	प्रतापसिंह	तोली		प्रतापसिंह
19	कुलदीपसिंह	तोली		कुलदीपसिंह
20	सुरेन्द्रसिंह	सरोड़ा		सुरेन्द्रसिंह
21	भगवानसिंह	ग्राम सरोड़ा		भगवानसिंह
22	रामचन्द्र सिंह	मरोड़ा		[illegible]
23	नैनसिंह	सरोड़ा		नैनसिंह
24	सरलादेवी			सरलादेवी
25	[illegible] देवी			[illegible]
26	विक्रमसिंह			विक्रमसिंह
27	सावनसिंह	सरोड़ा		सावनसिंह
28	[illegible] सिंह			
29				